ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक एफ.21(40)/आजभूस/मुमंजस्वाअ/2017/6938-7043 दिनांक : 07/06/17

जिला कलक्टर,

समस्त।

विषय : मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत सीएसआर के तहत कार्य लिये जाने के संबध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ 21(01)/निजभूस/मुमजस्वअ/2015/5415–5538 दिनांक 25.01.2016 के सन्दर्भ में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत जन सहयोग/सीएसआर के तहत प्राप्त होने वाली सहायता से कार्य सम्पादन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी किये गये थे। इस संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है :–

1. संस्था द्वारा कार्यों के चयन का अनुरोध संबधित जिला कलक्टर से किया जायेगा।
2. कार्य संबधित जिले की डीपीआर में सम्मिलित होना चाहिए।
3. चयनित कार्य मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत जमा कार्य (Deposit work) के तहत सम्पादित किया जा सकता है।
4. कार्य की तकनीकी स्वीकृति संबंधित विभाग द्वारा उनकी सक्षमता के अनुसार जारी की जायेगी।
5. सीएसआर के तहत कार्य का चयन करने वाली संस्था जिला कलक्टर के साथ एमओयू करेगी एवं एमओयू की शर्तो के अनुसार ही कार्य सम्पादित किया जायेगा।
6. संस्था कार्य की अनुमानित लागत की राशि एक मुश्त अथवा तीन किश्तों में निम्नानुसार हस्तांतरित करेगी –
   अ. प्रथम किश्त (60 प्रतिशत)कार्य चयन के पश्चात।
   ब. द्वितीय किश्त (30प्रतिशत)कार्य के 50 प्रतिशत पूर्ण होने पर।
   स.तृतीय किश्त (10 प्रतिशत)कार्यपूर्ण होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात।
7. कार्य विशेष के लिये संस्था द्वारा जमा राशि में से बचत की राशि बिना संस्था की अनुमति के अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जा सकेगी।

6.6.2017

(सुदर्शन सेठी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक एफ.21(40)/आजभूस/मुमंजस्वाअ/2017/6938-7043 दिनांक : 07/06/17

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पचायतीराज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, उद्योग विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त जलग्रहण एवं भूसंरक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान नदी बेसिन एवं आयोजना प्राधिकरण राज0 जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद–समस्त।
7. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद समस्त।
8. उपनिदेशक (जीआईएस) को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को अभियान की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

आयुक्त